संख्या-544 / 22-2-2014-17(121) / 2011

प्रेषक,

दिनेश कुमार सिंह
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24 अगस्त, 2015

विषयः- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्व सिद्धदोष बन्दी राधेश्याम पाण्डेय पुत्र श्री कृष्ण दत्त पाण्डेय, निवासी जनपद-गोण्डा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10320/पर-3(एम-08-10-2013) दिनांक-16-04-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राधेश्याम पाण्डेय पुत्र श्री कृष्ण दत्त पाण्डेय ग्राम- माधवपुर, थाना-कोतवाली, जनपद-गोण्डा का निवासी है। बन्दी पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर तैनात था बन्दी 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 18-06-1980 की प्रातः कुन्ती नामक महिला के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-105/80 में भा0द0वि0 की धारा-302,376,201,449 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी द्वारा दिनांक 14-05-1982 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, बन्दी की अपील निर्णीत है। बन्दी द्वारा दिनांक 19-09-2013 तक 18 वर्ष 11 माह 00 दिन की अपरिहार तथा 26 वर्ष 03 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 01 सहअभियुक्त की दिनांक 19-06-2009 को मृत्यु हो चुकी है, तथा 01 सहअभियुक्त मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाराबंकी के आदेश पर 03 माह के पैरोल रिहा पर रिहा किया गया था। उक्त बन्दी 03 माह पूर्ण होने के उपरान्त जिला कारागार, बाराबंकी में दाखिल नहीं हुआ। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा बन्दी समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा बन्दी पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर तैनात था। बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 18-06-1980 की प्रातः कुन्ती नामक महिला के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के द्रष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी राधेश्याम पाण्डेय पुत्र श्री कृष्ण दत्त पाण्डेय को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि **बन्दी राधेश्याम पाण्डेय (बन्दी संख्या-13606) पुत्र श्री कृष्ण दत्त पाण्डेय निवासी ग्राम-माधवपुर, थाना-कोतवाली, जनपद-गोण्डा** की फार्म-ए के प्रार्थना-पत्र पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव

http://shasanadesh.up.nic.in

उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(दिनेश कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-544/(1)/22-2-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ ।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-544/22-2-2015-17(121)/2011

दिनांक 24 अगस्त, 2015 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्व **बन्दी राधेश्याम पाण्डेय (बन्दी संख्या-13606) पुत्र श्री कृष्ण दत्त पाण्डेय निवासी ग्राम-माधवपुर, थाना-कोतवाली, जनपद-गोण्डा** की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में महानिरीक्षक, कारागार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राधेश्याम पाण्डेय पुत्र श्री कृष्ण दत्त पाण्डेय निवासी ग्राम-माधवपुर, थाना-कोतवाली, जनपद-गोण्डा का निवासी है। बन्दी पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर तैनात था बन्दी 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 18-06-1980 की प्रातः कुन्ती नामक महिला के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-105/80 में भा0द0वि0 की धारा-302,376,201,449 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी द्वारा दिनांक 14-05-1982 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया बन्दी की अपील निर्णीत है। बन्दी द्वारा दिनांक 19-09-2013 तक 18 वर्ष 11 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष 03 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भागी गयी है। बन्दी के 01 सहअभियुक्त की दिनांक 19-06-2009 को मृत्यु हो चुकी है, तथा 01 सहअभियुक्त मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाराबंकी के आदेश पर 03 माह के पैरोल रिहा पर रिहा किया गया था। उक्त बन्दी 03 माह पूर्ण होने के उपरान्त जिला कारागार, बाराबंकी में दाखिल नहीं हुआ। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रटे, गोण्डा द्वारा बन्दी समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा बन्दी पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर तैनात था। बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 18-06-1980 की प्रातः कुन्ती नामक महिला के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी राधेश्याम पाण्डेय पुत्र श्री कृष्ण दत्त पाण्डेय को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(दिनेश कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in